



No. 018841

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या २१९४

वर्ष २०११-१२

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि 'ईनफॉर्मेशन ऑफ कम्प्यूटर इंडिका सोसायटी'
 'वर्ड नं०-३३, 'स्वर्णिम', लालबाग, तिलकामांभी, पो० + ग्रामा-तिलकामांभी
 जिला- भागलपुर (बिहार)

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख अठारह मास अक्टूबर वर्ष दो हजार आठ को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

संस्था निबन्धन अधिनियम-21,1860 के अधीन
 निबन्धन विभाग मात्र संस्था का निबन्धन करता
 है। निबन्धन को संस्था के वास्तव में कार्यरत
 होने या ना होने का प्रमाण या वित्तीय सहायता
 के प्रयोजन हेतु अनुरासा नहीं माना जाए । ३/१५

L. Singh
 वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना ।

पत्र संख्या-बी० एस०³-10.....621 / 2011 - 2969

निबंधन महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय

(दाखिल करने का प्रमाण पत्र)

'ईनफॉर्मेशन ऑफ कम्प्युटर इंडिया सोसायटी'

पटना, दिनांक-20/10/11

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के उपबन्धों के अनुसार यथावत् दाखिल/निबंधित/ अभिलेखित किया गया / किये गये।

फीस का ज्ञाप रु० 50/- (पचास रुपये) केवल।

संस्था स्मृति-पत्र/नियमावली एवं आम सभा का प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना।

श्रीमती संजु सिन्हा
सचिव, 'ईनफॉर्मेशन ऑफ कम्प्युटर इंडिया सोसायटी'
वार्ड नं०-32, "स्वर्णिम", लालबाग, तिलकामांझी
पौ० + धाना - तिलकामांझी, जिला - भागलपुर (बिहार)

की सेवा में उनके पत्र संख्या 105-02/08-2011 दिनांक 30/08/2011 के प्रसंग में अग्रसारित।

निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न है, प्राप्ति की सूचना दें।

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना।